

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

SUBJECT: Area statement of proposed Building Block-A in Manglam Industrial city, on Plot. C1 & C2, Jaitpura (Chomu), Sikar Road, Jaipur

Area Statement of Building Block-A are mentioned below:

AREA STATEMENT AS PER RERA

PHASE AREA	3,562.73 SQ. MT.
OPEN AREA	2,576.62 SQ. MT.
GROSS BUILT-UP AREA	10,882.06 SQ. MT.
NO. OF APARTMENTS Residential-170 Commercial-14	184 UNITS
NO. OF 2 WHEELER	340 UNITS
NO. OF 4 WHEELER	9 UNITS

Date : 01-03-2022
Place: Jaipur

Ar Gyanendra Singh Shekhawat

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./वन.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2022/डी-25)

दिनांक- 17/12/22

श्री राजेश शर्मा,
अधिकृत प्रतिनिधि,
मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि.,
छठवीं मंजिल, अपेक्स नॉल, लालकोठी,
टॉक रोड, जयपुर।

विषय:- पुर्नगठित भूखण्ड संख्या सी-1 व सी-2, मंगलम औद्योगिक सिटी योजना, ग्राम जैतपुरा व चौमू, तहसील आमेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2021 के संदर्भ में पुर्नगठित भूखण्ड संख्या सी-1 व सी-2, मंगलम औद्योगिक सिटी योजना, ग्राम जैतपुरा व चौमू, तहसील आमेर, जयपुर (5492.22 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर ब्लॉक ए-33.60 मी. (स्ट्रिट + 10 तल) एवं ब्लॉक बी-17.90 मी. (मूलतल + 05 तल) के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत संशोधित भवन मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 252वीं बैठक दिनांक 22.12.2021 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 252वीं बैठक दिनांक 22.12.2021 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 15.12.2017 के अनुसार भवन अनुज्ञा अवधि मई-2020 तक प्रभावी थी। कोविड महामारी के कारण भवन अनुज्ञा अवधि में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.2020, 12.05.2021 एवं 01.09.2021 के अनुसार भवन अनुज्ञा अवधि दिनांक 31.03.2022 तक प्रभावी हैं। निर्धारित समय अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं होने पर नियमानुसार शास्ति लेय होगी।
2. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को पी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
3. धरियोजना से संबंधित भवन विनियम 2020 में निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
4. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेविटेशन) नहीं किया जायेगा।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11 एवं अन्य बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 12.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्वर्जेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. आप द्वारा भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 15 के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी।
8. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपर्युक्त जोन-12 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
9. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
10. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
11. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
12. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. भूस्वामी द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के विनियम 12.1 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
15. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जाये।

16. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का कियरन अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
18. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केंयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केंयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
19. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अध्या तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
20. प्रकरण प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
21. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण विभाग एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
22. प्रकरण सशोचित भवन मानचित्रों के अनुमोदन का होने के कारण राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) रूल्स 2017 (यदि परियोजना देरा में पंजीकृत है तो) से संबंधित नियमों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
23. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्प्ले) लगाया जावे।
24. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्लेट्स की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारंभ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
25. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावे।
26. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को भी उनके पर क्वालिटी कंट्रोल लेब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
27. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (06 मानचित्र)

भवदीय,


वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. श्री धर्मपाल सिंह, उपकर निर्धारण अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, शान्ति नगर, हसनपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उपायुक्त, जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एक. 60/उपा. न (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 06.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

PREVIOUS APPROVED = 2015 CMJAY BYE LAWS (REVISED- DRAWING)

PLOT AREA = 6568.46 SQ.YDS. OR 5492.22 SQ.MTS.

1 ACRE : 120 UNIT REQUIRED

PROPOSED LAND = 1.357 ACRE

PROVIDED UNITS = 214 UNITS

F.A.R. PERMISSIBLE = 5492.22X2.25 = 12357.49 SQ.MT.(standard)

F.A.R. PERMISSIBLE = 5492.22X4.25 = 23341.93 SQ.MT.

ACHIEVED F.A.R = 9585.97 (1.74) SQ.MT.

PERMISSIBLE COVERAGE = 0.50X5492.22 = 2746.11 SQ.MT.

ACHIEVED G.COVERAGE = 1251.77 SQ.MT. (22.79 %)

HEIGHT OF THE BUILDING = 33.60 SQ.MT. (0.60 MT. PLINTH + 33.00MT.)

CORRIDOR PERMISSIBLE = 0.15 X 9585.97 = 1437.89 SQ.MT.

CORRIDOR ACHIEVED = 1426.10 SQ.MT.

CLUB HOUSE AREA PERMISSIBLE = 0.05 X 9585.97 = 479.29 SQ.MT.

CLUB AREA ACHIEVED = 245.44 SQ.MT.

COMMERCIAL AREA PERMISSIBLE = 0.03 X 9585.97 = 287.57 SQ.MT.

COMMERCIAL AREA ACHIEVED = 272.87 SQ.MT. (2.84 %)

LANDSCAPING PERMISSIBLE = 0.10X5492.22 = 549.22 SQ.MT.

LANDSCAPING ACHIEVED = 1420.72 SQ.MT.

BLOCK - A CALCULATION TABLE									
Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA	NET BUILT UP AREA	STAIRCASE	LIFT	SERVICES	CORRIDOR	NET F.A.R.	
1.	STILT	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	- - -	284.35	
2.	FIRST	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
3.	SECOND	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
4.	THIRD	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
5.	FOURTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
6.	FIFTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
7.	SIXTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
8.	SEVENTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
9.	EIGHT	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
10.	NINTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
11.	TENTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
12.	TERRACE	97.22	97.22	-	-	-	-	-	
13.	TOTAL	10882.06	10357.14	123.75	109.56	35.42	1231.50	8135.75	

BLOCK - B CALCULATION TABLE									
Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA	NET BUILT UP AREA	STAIRCASE	LIFT	SERVICES	CORRIDOR	NET F.A.R.	
1.	GROUND	319.05	319.05	11.25	8.03	3.48	34.95	293.34	
2.	FIRST	319.05	319.05	11.25	8.03	3.48	34.95	293.34	
3.	SECOND	319.05	319.05	11.25	8.03	3.48	34.95	293.34	
4.	THIRD	319.05	319.05	11.25	8.03	3.48	34.95	293.34	
5.	FOURTH	319.05	319.05	11.25	8.03	3.48	34.95	293.34	
6.	FIFTH	174.13	174.13	11.25	8.03	3.48	19.85	133.62	
7.	TERRACE	64.90	64.90	-	-	-	-	-	
8.	TOTAL	1834.28	1834.28	67.50	36.16	20.88	194.80	1450.22	

MASTER CALCULATION TABLE									
Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA	NET BUILT UP AREA	STAIRCASE	LIFT	SERVICES	CORRIDOR	NET F.A.R.	
1.	STILT / GROUND	1299.49	1251.77	22.50	15.99	6.70	34.95	547.69	
2.	FIRST	1299.49	1251.77	22.50	15.99	6.70	158.10	1048.48	
3.	SECOND	1299.49	1251.77	22.50	15.99	6.70	158.10	1048.48	
4.	THIRD	1299.49	1251.77	22.50	15.99	6.70	158.10	1048.48	
5.	FOURTH	1299.49	1251.77	22.50	15.99	6.70	158.10	1048.48	
6.	FIFTH	1154.57	1106.85	22.50	15.99	6.70	143.00	918.65	
7.	SIXTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
8.	SEVENTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
9.	EIGHT	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
10.	NINTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
11.	TENTH	980.44	932.72	11.25	9.96	3.22	123.15	785.14	
12.	TERRACE	162.12	162.12	-	-	-	-	-	
13.	GROUND ROOM WATER TANK, S.T.P.	130.27	130.27	-	-	-	-	-	
14.	TOTAL	12846.61	12321.69	191.25	145.74	56.30	1428.10	9585.97	

E.W.S. UNIT BUILT UP AREA = 32.39 SQ.MTS.
L.I.G. UNIT BUILT UP AREA = 46.49 SQ.MTS.
TOTAL E.W.S. UNIT = 44 NOS.
TOTAL L.I.G. UNIT = 170 NOS.
TOTAL E.W.S. UNIT BUILT UP AREA = 32.39X44 = 1425.16 SQ.MTS.
TOTAL L.I.G. UNIT BUILT UP AREA = 46.49X170 = 7903.30 SQ.MTS.
TOTAL UNIT BUILT UP AREA = 1425.16 + 7903.30 = 9328.46 SQ.MTS.
TOTAL COMMON AREA = 1975.94 SQ.MTS.
PROPORTIONATE COMMON AREA = 1975.94 / 9328.46 = 21.18 (22%)
E.W.S. UNIT SALE AREA = 32.39*1.22 = 39.51 SQ.MTS.
L.I.G. UNIT SALE AREA = 46.49*1.22 = 56.71 SQ.MTS.

PARKING CALCULATIONS:-
TOTAL NO. OF E.W.S. :- 44 FLATS
TOTAL NO. OF L.I.G. :- 170 FLATS
TOTAL NO. OF E.W.S./L.I.G. :- 214 FLATS
PERMISSIBLE PARKING :-
E.W.S. FLAT PARKING :- 44 X 1 = 44 TWO WHEELER
L.I.G. FLAT PARKING :- 170 X 2 = 340 TWO WHEELER
TOTAL PARKING :- 384 TWO WHEELER
+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 384 X 1.25 = 480.00
TOTAL PARKING REQ. = 480.00
COMMERCIAL PARKING = 272.87
= 5.45 E.C.U.
+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 5.45 X 1.25 = 6.81
TOTAL PARKING REQ. = 6.81
PARKING PROVIDED :-
TOTAL PARKING PROVIDED :- 482 TWO WHEELER
TOTAL CAR PARKING :- 9 CARS

E.W.S./L.I.G. AREA CALCULATION BLOCK - A									
S.NO.	FLAT NO. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	SUPER B.U.A. OF EACH E.W.S./L.I.G. UNIT	CARPET AREA OF EACH E.W.S./L.I.G. UNIT	NO. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL B.U.A. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL SUPER B.U.A. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL CARPET AREA OF E.W.S./L.I.G. UNIT		
1.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
2.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
3.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
4.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
5.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
6.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
7.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
8.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
9.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
10.	L.I.G.-01 TO 17	46.49	56.71	17	790.33	964.07	967.48		
GRANT TOTAL					170 FLATS(LIG)	7,903.30	9,640.70	6,874.80	

E.W.S./L.I.G. AREA CALCULATION BLOCK - B									
S.NO.	FLAT NO. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	SUPER B.U.A. OF EACH E.W.S./L.I.G. UNIT	CARPET AREA OF EACH E.W.S./L.I.G. UNIT	NO. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL B.U.A. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL SUPER B.U.A. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL CARPET AREA OF E.W.S./L.I.G. UNIT		
1.	E.W.S.-01 TO 08	32.39	39.51	08	259.12	318.08	322.64		
2.	E.W.S.-01 TO 08	32.39	39.51	08	259.12	318.08	322.64		
3.	E.W.S.-01 TO 08	32.39	39.51	08	259.12	318.08	322.64		
4.	E.W.S.-01 TO 08	32.39	39.51	08	259.12	318.08	322.64		
5.	E.W.S.-01 TO 08	32.39	39.51	08	259.12	318.08	322.64		
6.	E.W.S.-01 TO 08	32.39	39.51	08	259.12	318.08	322.64		
GRANT TOTAL					44 FLATS(EWS)	1,425.16	1,738.44	1,279.52	

E.W.S./L.I.G. AREA CALCULATION MASTER TABLE FOR ALL BLOCK									
S.NO.	BLOCK NAME	NO. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL B.U.A. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL SUPER B.U.A. OF E.W.S./L.I.G. UNIT	TOTAL CARPET AREA OF E.W.S./L.I.G. UNIT				
1.	BLOCK A	170 FLATS	7,903.30	9,640.70	6,874.80				
2.	BLOCK B	44 FLATS	1,425.16	1,738.44	1,279.52				
3.	NET TOTAL	214 FLATS	9,328.46	11,379.14	8,154.32				

ALL BLOCK COMMON AREA CALCULATION TABLE									
Sr. No.	FLOORS	COMMON AREA (SQ. MT.)							
1.	STILT/GROUND	56.48							
2.	FIRST	222.52							
3.	SECOND	222.52							
4.	THIRD	222.52							
5.	FOURTH	222.52							
6.	FIFTH	207.18							
7.	SIXTH	164.04							
8.	SEVENTH	164.04							
9.	EIGHT	164.04							
10.	NINTH	164.04							
11.	TENTH	164.04							
12.	TERRACE	164.04							
13.	TOTAL	1975.94							

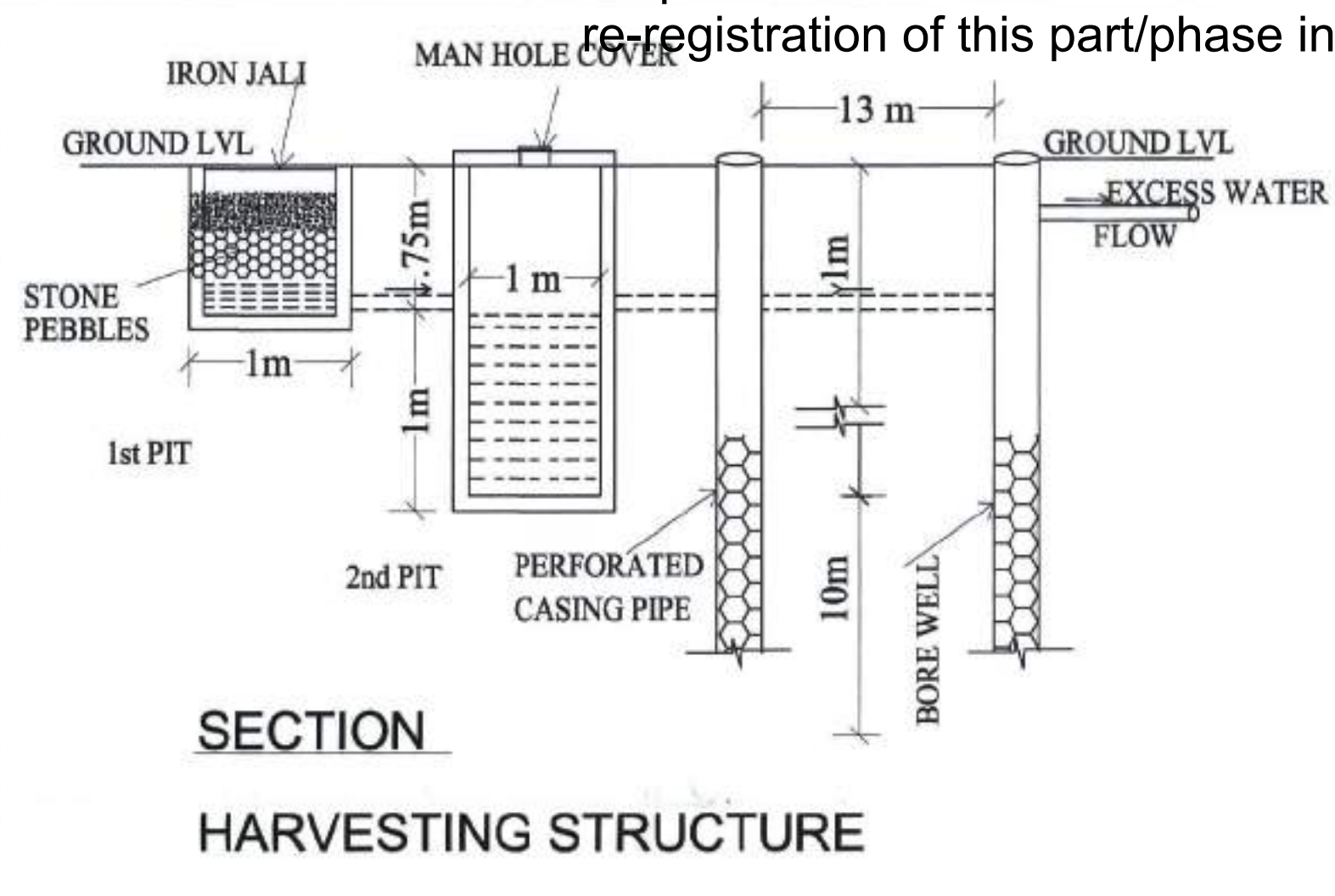


SHEET NO. 01
SITE PLAN & CALCULATION TABLE

PHASE I (3562.73 SQ.MT.)
Phase I - To retain

PHASE II (1935.66 SQ.MT.)

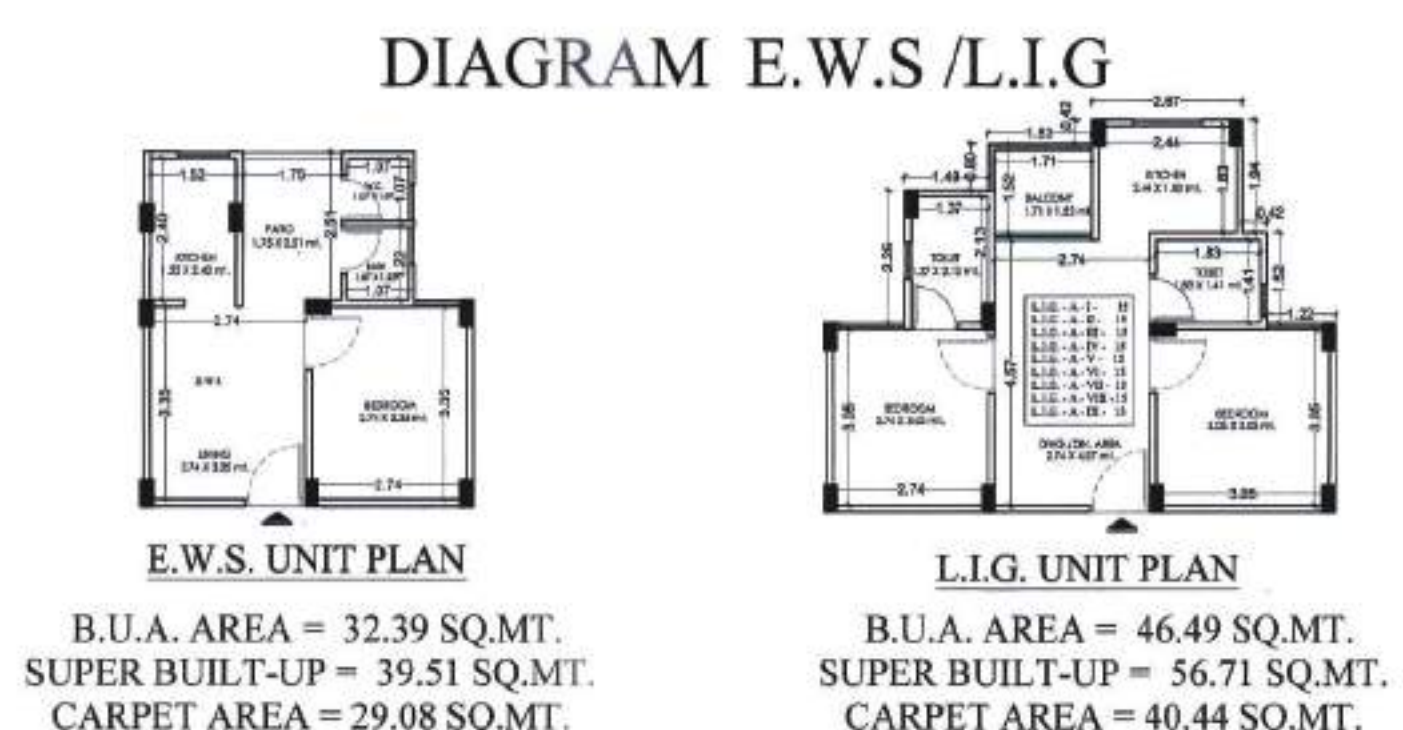
Proposed for curtailment. We will apply for re-registration of this part/phase in due time



DRAWING TITLE :-
SITE PLAN & CALCULATION TABLE

PROJECT TITLE :-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. IN COMM. NO.-1 & COMM. NO.-2 SCHEME - MANGLAM INDUSTRIAL CITY (NJI KHATEDARI) AT JAIPUR (CHOMU) SIKAR ROAD, JAIPUR

Logo for Ideas Architecture | Urban Planning | Interiors
For Manglam Build Developers Ltd.
Director/Authorized Signatory
Gyanendra Singh Shekhawat
Architect
CA/97/22630
OWNER
ARCHITECT



SITE PLAN & CALCULATION TABLE



PHASE I (3562.73 SQ.MT.)

PHASE II (1935.66 SQ.MT.)

DRAWING TITLE :-
STILT/GROUND FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-
PROPOSED E.W.S./L.I.G. IN COMM.NO-1 & COMM.NO-2 SCHEME - MANGLAM INDUSTRIAL CITY (NIJI KHATEDARI) AT JATPURA(CHOMU) SIKAR ROAD, JAIPUR



SCALE 1:200 NORTH POINT

For Manglam Build Developers Ltd.
Director/Authorised Signatory

Gyanendra Singh Shekhawat
Architect
CA/97/22030

OWNER ARCHITECT

सर्वप्रथम 1:500 का मापकालिका
इस योजना में दर्शाया गया है कि
किसी भी भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
किसी भी भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।

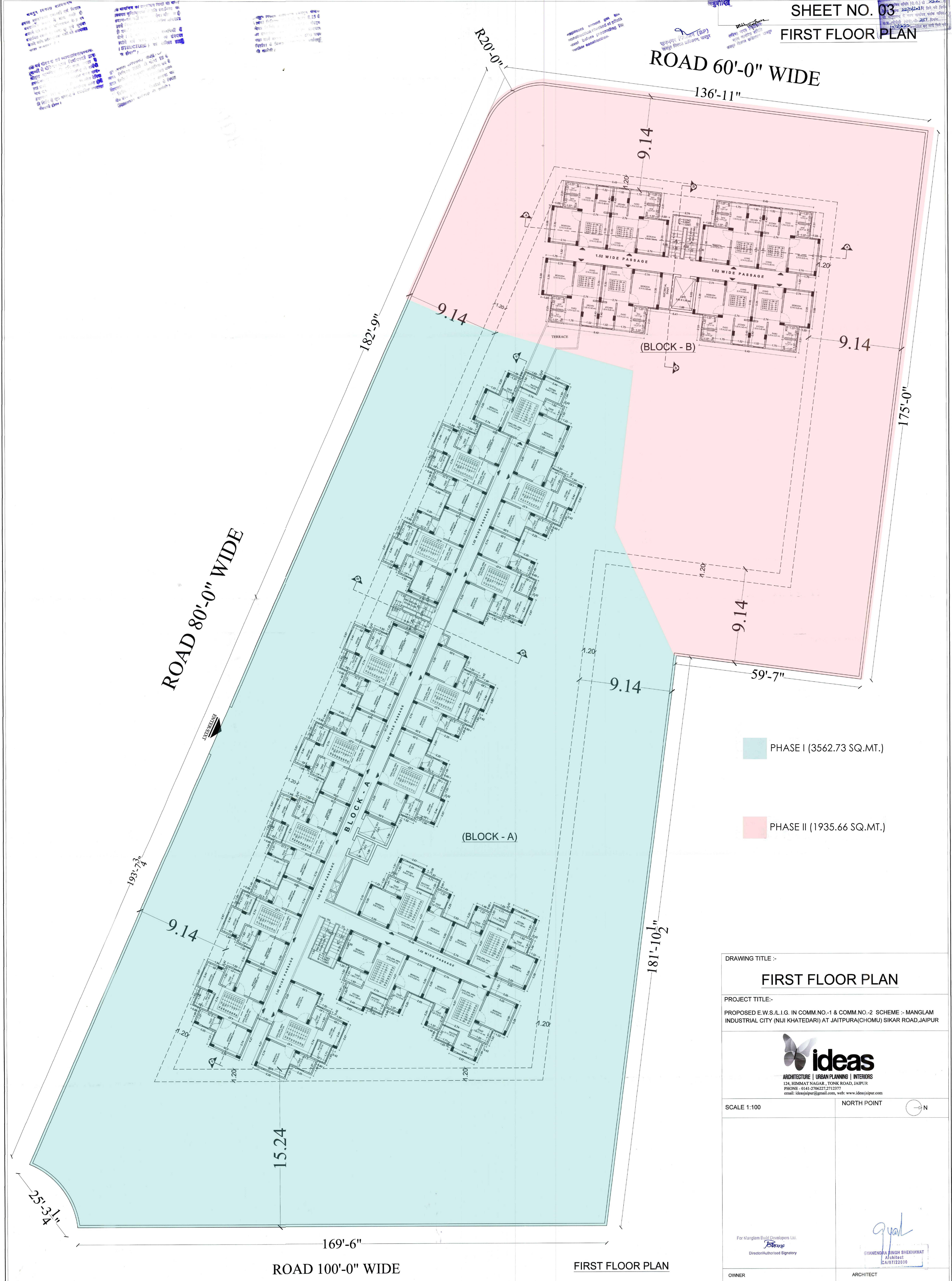
1. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
2. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
3. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।

1. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
2. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
3. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।

1. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
2. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
3. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।

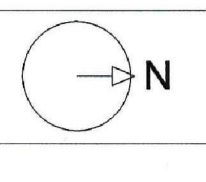
1. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
2. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
3. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।

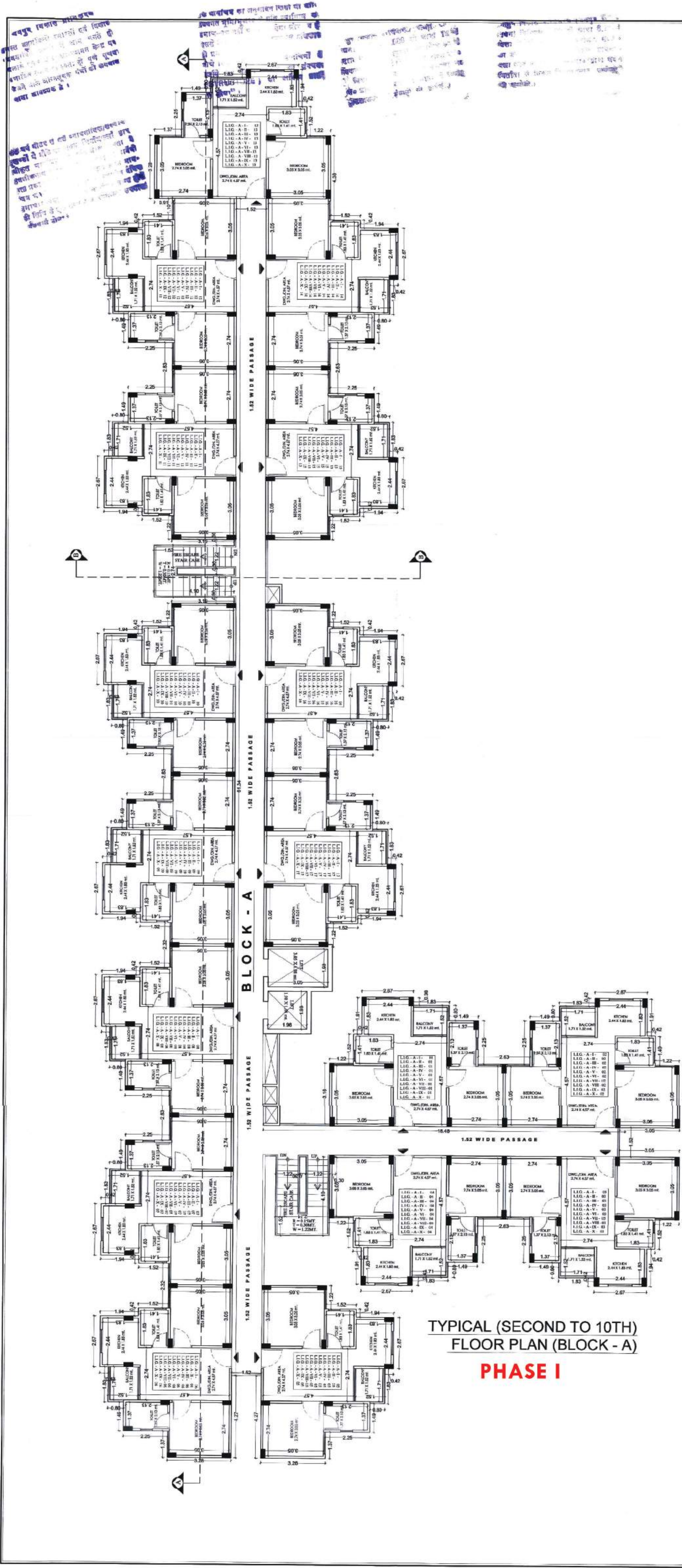
1. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
2. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।
3. भवन के लिए न्यूनतम 10 मीटर
का न्यूनतम दूरी होनी चाहिए।



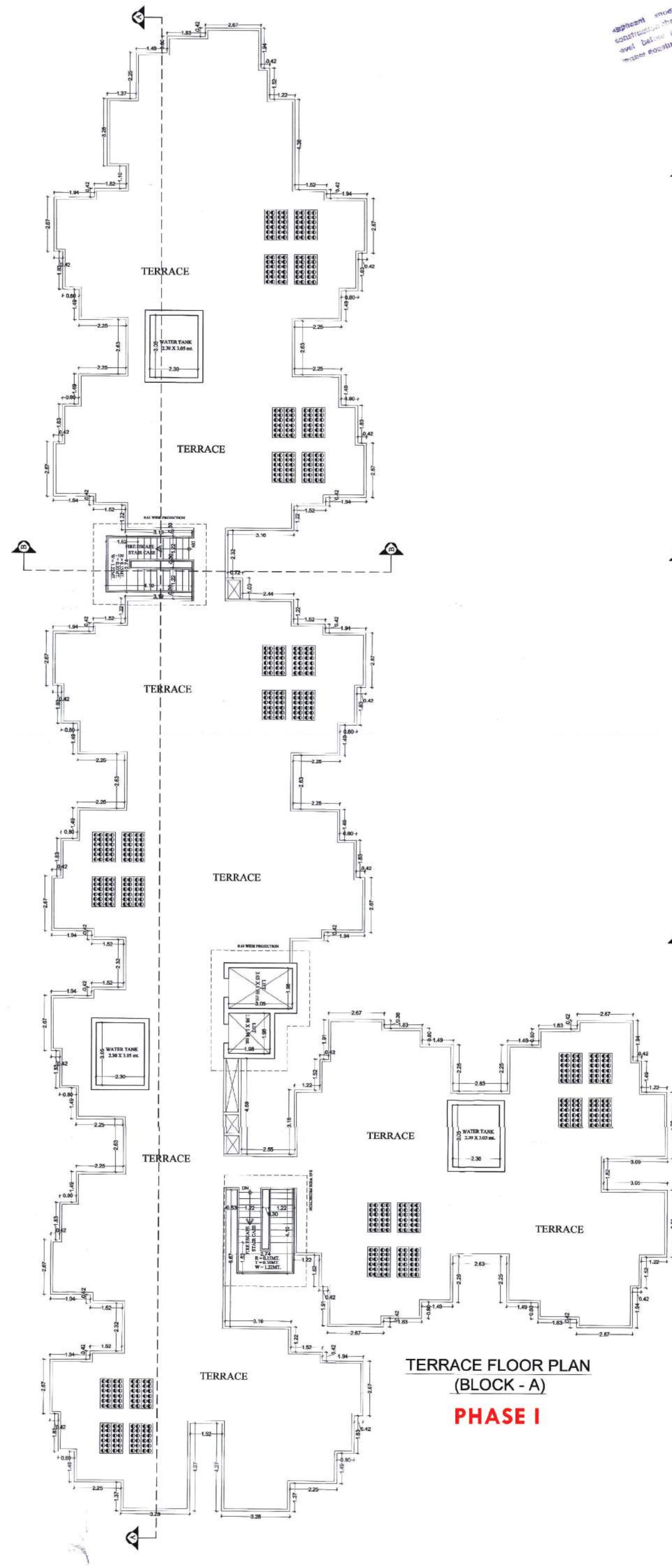
PHASE I (3562.73 SQ.MT.)

PHASE II (1935.66 SQ.MT.)

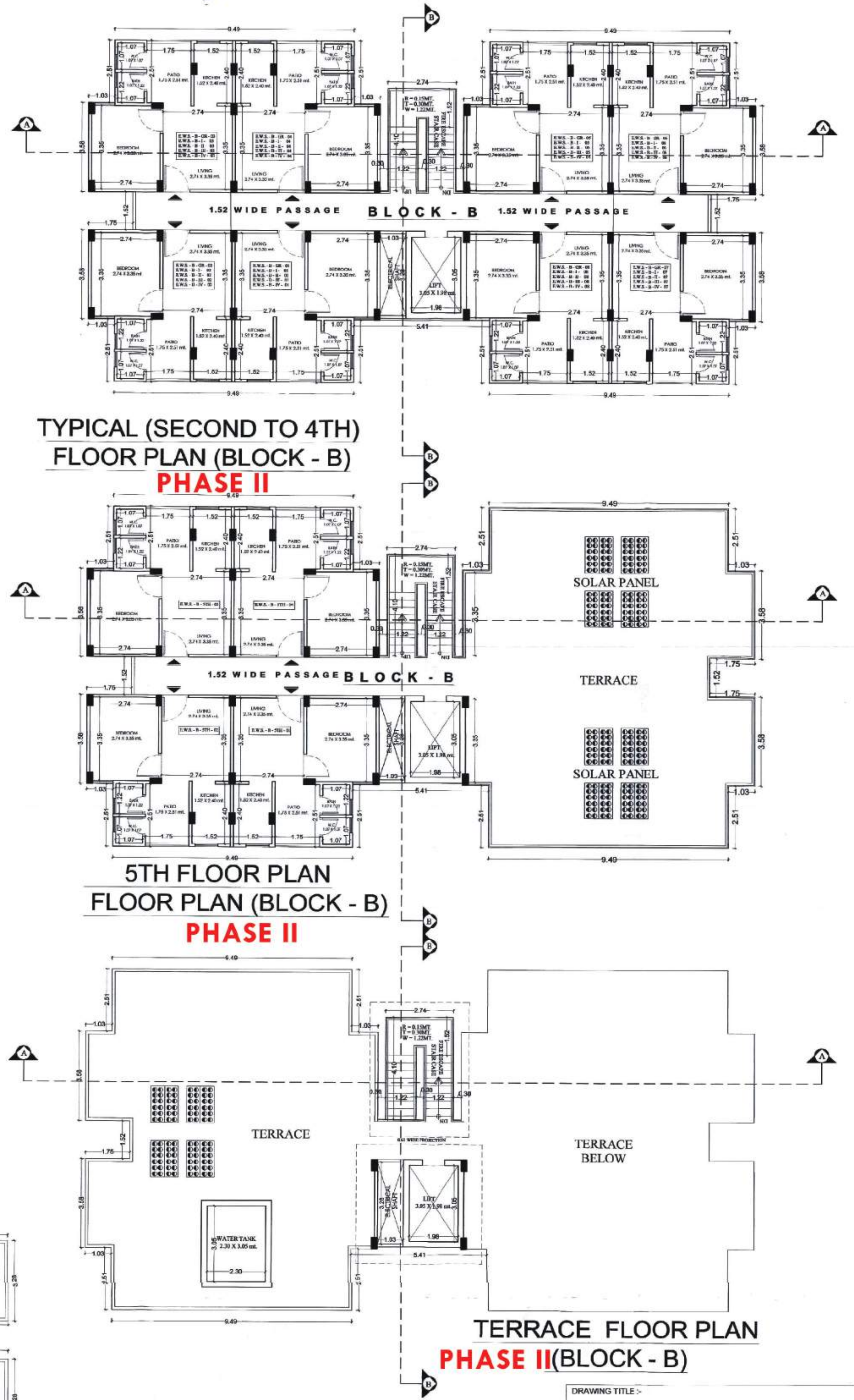
DRAWING TITLE :- FIRST FLOOR PLAN	
PROJECT TITLE:- PROPOSED E.W.S./L.I.G. IN COMM.NO.-1 & COMM.NO.-2 SCHEME :- MANGLAM INDUSTRIAL CITY (NIJI KHATEDARI) AT JAIPURA(CHOMU) SIKAR ROAD,JAIPUR	
 ARCHITECTURE URBAN PLANNING INTERIORS 124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR PHONE - 0141-2706227, 2712377 email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com	
SCALE 1:100	NORTH POINT 
OWNER	ARCHITECT  GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030



TYPICAL (SECOND TO 10TH)
FLOOR PLAN (BLOCK - A)
PHASE I



TERRACE FLOOR PLAN
(BLOCK - A)
PHASE I



TYPICAL (SECOND TO 4TH)
FLOOR PLAN (BLOCK - B)
PHASE II

5TH FLOOR PLAN
FLOOR PLAN (BLOCK - B)
PHASE II

TERRACE FLOOR PLAN
PHASE II (BLOCK - B)

DRAWING TITLE:-
FLOOR PLAN (BLOCK - A & B)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S.A.I.G. IN COMM NO.-1 & COMM NO.-2 SCHEME - MANGLAM INDUSTRIAL CITY (NEAR KHATEDARI) AT JATPUR(A) CHOMU) SIKAR ROAD, JALPUR

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
114, BHARAT NAGAR, THREE ROAD, JALPUR
PHONE: 9414020277, 9414020278
email: ideas@ideasgroup.in

SCALE 1:100 NORTH POINT

For Manglam Build Developers Ltd.
Director/Authorised Signatory

gyanendra
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/87/22030

OWNER ARCHITECT

ELEVATIONS(BLOCK-A)



DRAWING TITLE :-
ELEVATIONS(BLOCK-A)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED E.W.S./I.G. IN COMM.NO.-1 & COMM.NO.-2 SCHEME - MANGLAM INDUSTRIAL CITY (NULI KHATEDARI) AT JAIPURA(CHOMU) SIKAR ROAD,JAIPUR

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIRNIMAT NAGAR, VIGNA ROAD, JAIPUR
PHONE: 864-2700227/2700277
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

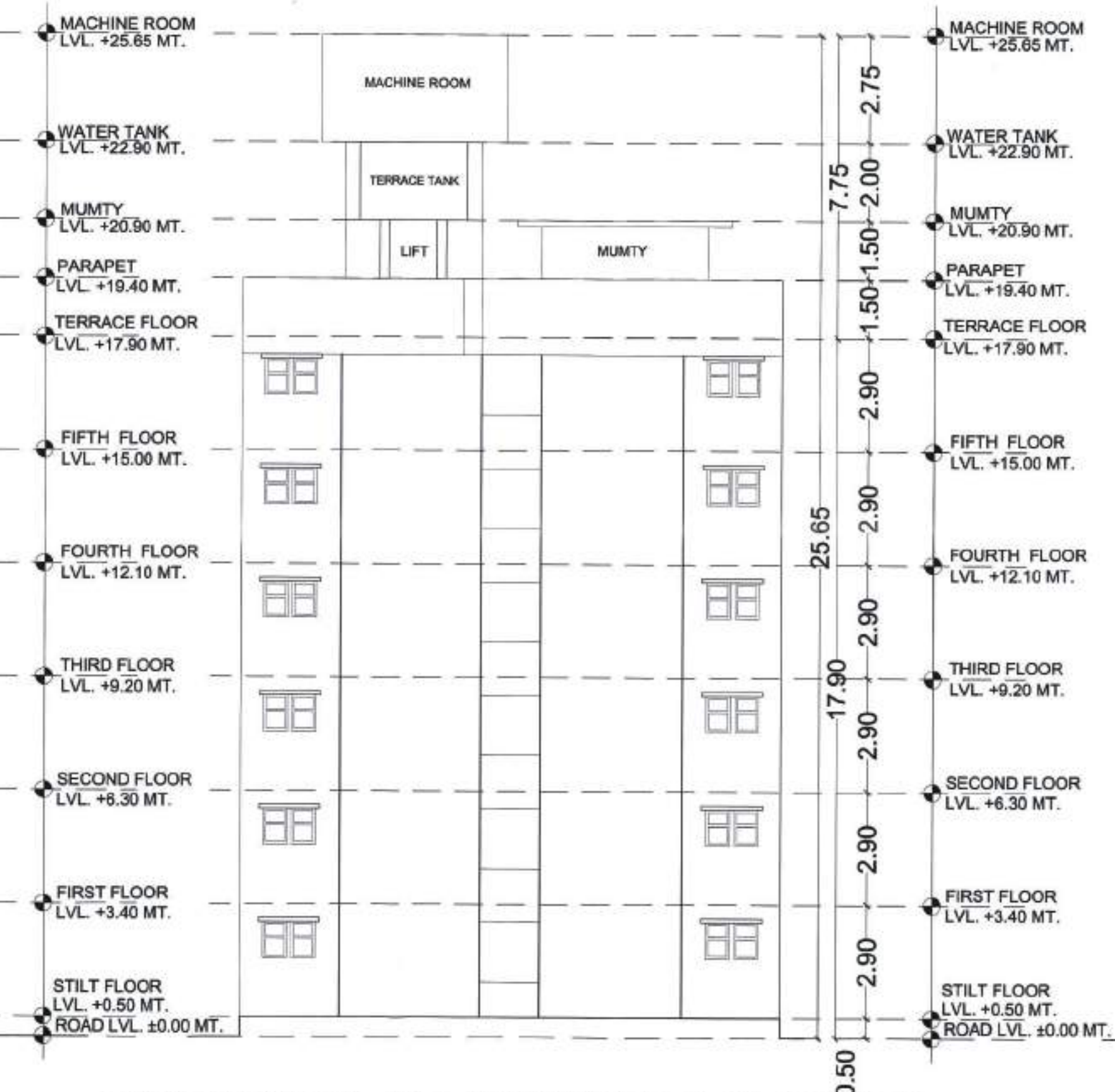
SCALE 1:100 NORTH POINT → N

For Manglam Build Developers Ltd.
Gyanendra Singh Shekhawat
Architect
CA/87722030

OWNER ARCHITECT



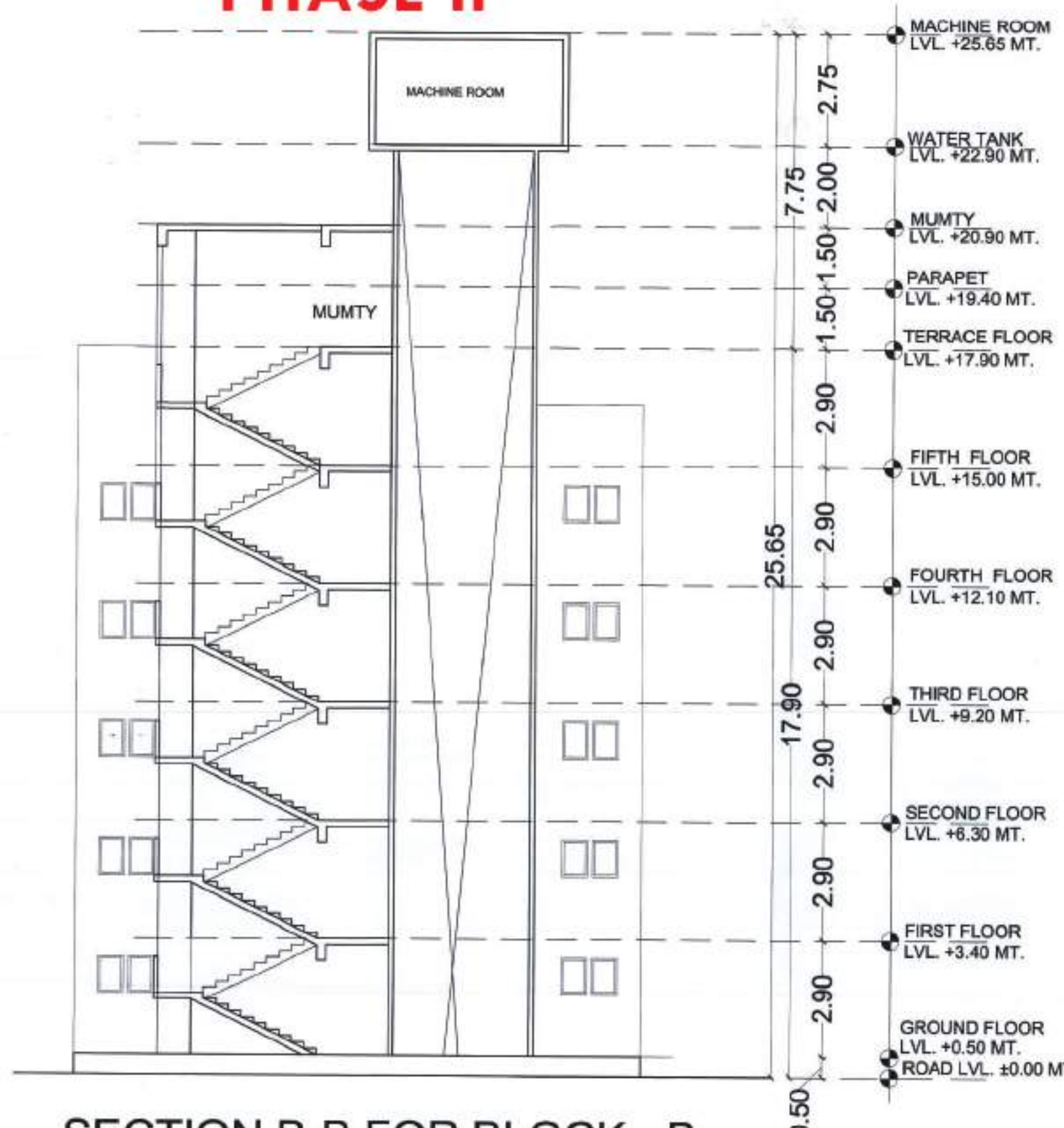
FRONT SIDE ELEVATION FOR BLOCK - B
PHASE II



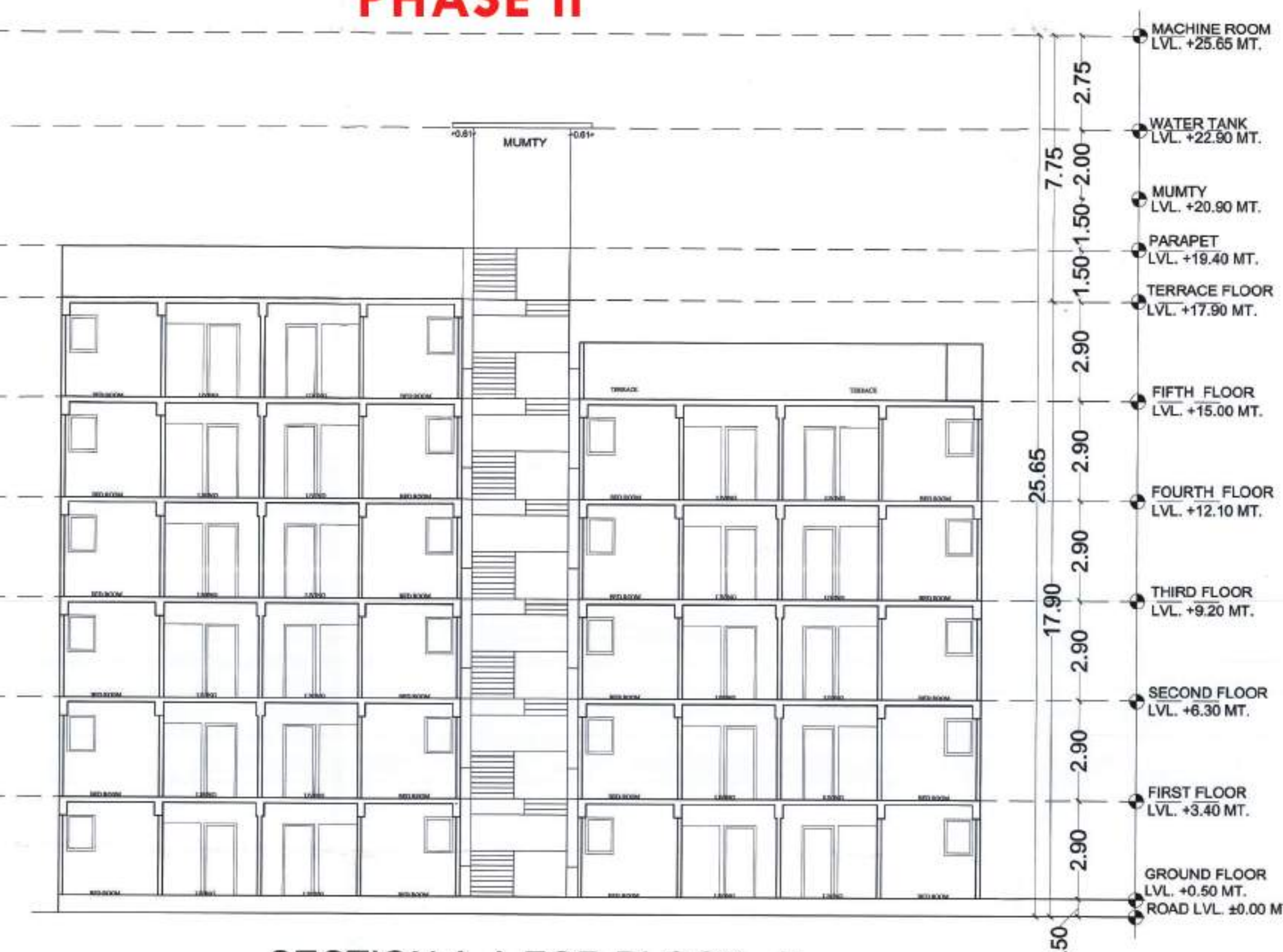
RIGHT SIDE ELEVATION FOR BLOCK - B
PHASE II



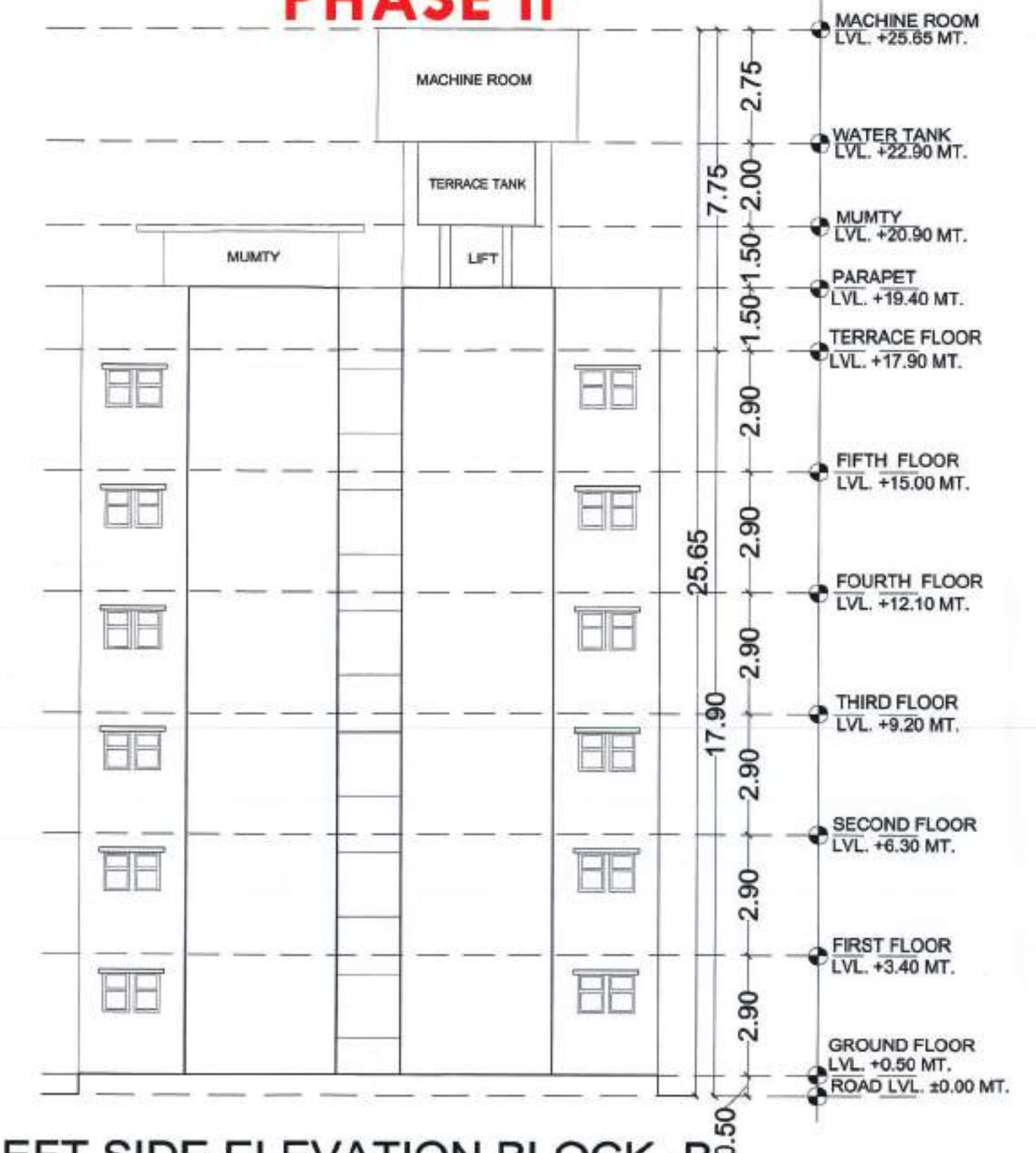
REAR SIDE ELEVATION FOR BLOCK - B
PHASE II



SECTION B-B FOR BLOCK - B
PHASE II



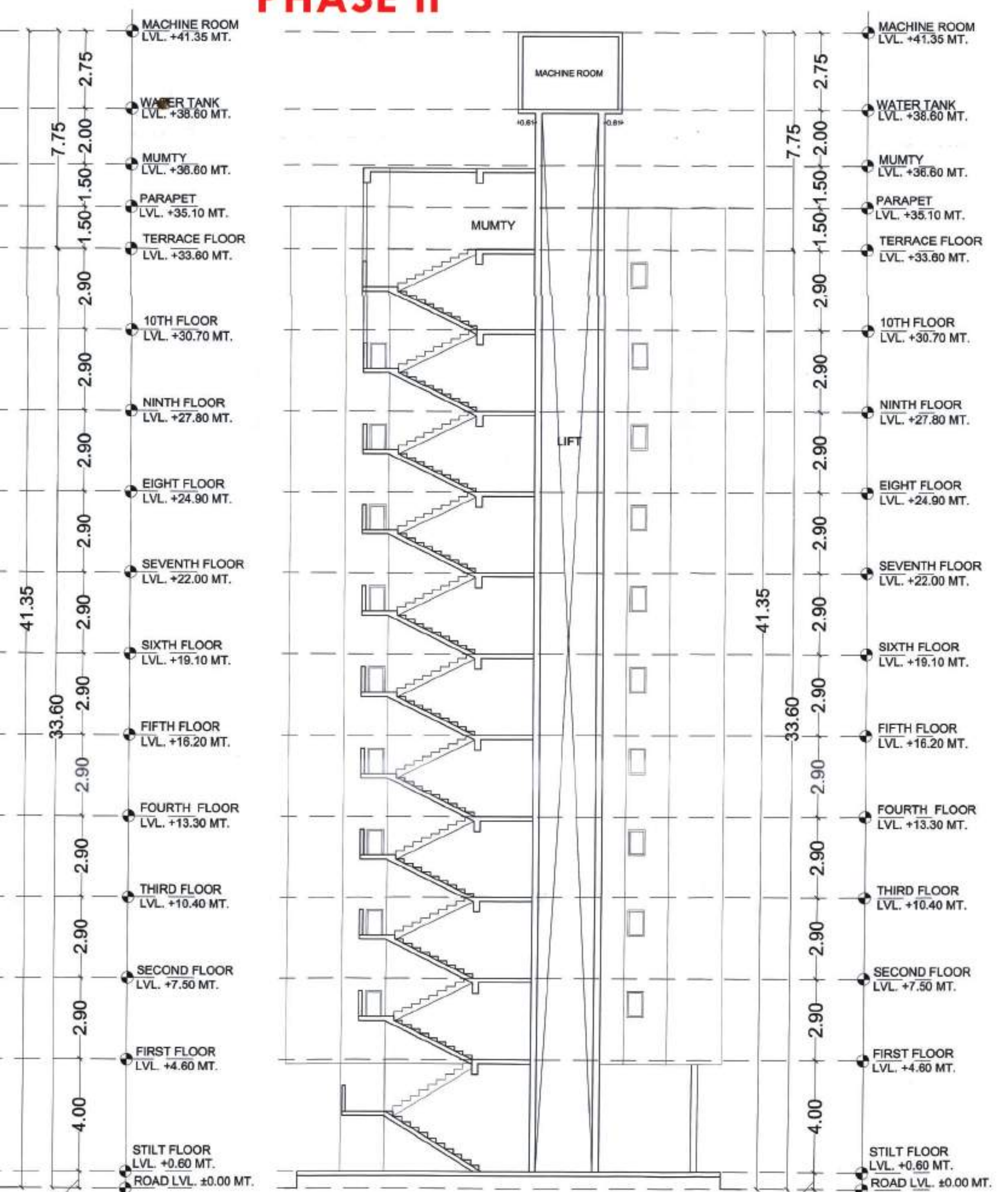
SECTION A-A FOR BLOCK - B
PHASE II



LEFT SIDE ELEVATION BLOCK - B
PHASE II



SECTION A-A **PHASE I**



SECTION B-B
PHASE I